शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalay, Bastar

Dharampura-2, Jagadalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, Bharat Pincode 494001

Telephone 07782-009037, Fax 07782-229037 Website: www.bvvjdp.ac.in

विश्वविद्यालय में किराये के वाहन हेतु निविदा सूचना

शहीद महेन्द्र कर्मा, विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर द्वारा वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र कार्यालयीन वेबसाइट www.bvvjdp.ac.in से प्राप्त कर निविदा फार्म की राशि रूपये 2000/–, धरोहर राशि रू 50000 /– का डी.डी. एवं वांछित दस्तावेज निविदा में संलग्न कर दिनांक 06/03/2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/पी.एण्ड. टी. विभाग के अधिकृत कोरियर के माध्यम से निविदा आमंत्रित किया जाता है।

1. निविदा (Website) से उपलब्ध करने का दिनांक : 15/02/2023 से
2. निविदा विश्वविद्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 06/03/2023 समय 5.00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि : 07/03/2023 समय 11.30 बजे से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में।

कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा, विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर (छ.ग.)

ट्रांसपोर्टरों/ट्रैवेल एजेन्सी से किराये के वाहन हेतु निविदा

आवश्यक निर्देश एवं शर्तें

1. निविदा प्रेषक द्वारा टैक्निकल बीड एवं फाईनेंसियल बीड दोनों अलग–अलग लिफाफे में बंद कर एक मुख्य लिफाफे में भरा जायेगा। उक्त निविदा विश्वविद्यालय में दिनांक 06/03/2023, सांय 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/P&T अधिकृत कोरियर के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। पर्याप्त प्राप्त निविदाओं को अगले दिवस पूर्वान्ह 11: 30 बजे से प्रशासनिक भवन के सभागार में केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा खोला जायेगा।
2. निविदा आमंत्रित करने/निविदा खोलने की तिथि एवं समय विश्वविद्यालय के सुविधा अनुसार परिवर्तनीय है। परिवर्तन की सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट में उपलब्ध किया जावेगा। इस हेतु निविदा प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय वेबसाइट का अवलोकन करें।
3. ट्रैवल एजेन्सी/ट्रासंपोर्टरों द्वारा रू. 2000/–(दो हजार) मात्र का प्रपत्र राशि एवं 50,000/–(पचास हजार) की धरोहर राशि का (भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक) डिमांड ड्राफ्ट जो ***कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर*** के नाम से देय हो, तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। बिना प्रपत्र राशि एवं धरोहर राशि के निविदा पर विचार करना संभव नही होगा।
4. वाहन का पंजीकरण व काम्प्रेहेंसिव बीमा PUC, आदि परिवहन विभाग छ.ग. शासन के अद्यतन नियम/आदेश/निर्देश अनुसार जीवित होना अनिवार्य है।
5. सभी वाहन चालक (LMV/HV) जीवित ड्राईविंग लाईसेन्स धारक हो। वाहन प्रदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वाहन चालकों को विश्वविद्यालय के पक्ष में शालीन, मर्यादित एवं आज्ञाकारी रहना होगा। वाहन चालक यात्रा के दौरान मदिरापान, धुम्रपान, गुटखा इत्यादि दुर्व्यवसनों से मुक्त रहेगा।
7. जिस वाहन में विश्वविद्यालय के अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी/विशिष्ट व्यक्ति सवार हों, उस वाहन के वाहन चालक को स्वच्छ एवं शालीन परिधान में रहना होगा, इसका व्ययभार एजेंसी/ट्रांसपोर्टर द्वारा वहन करना होगा।
8. किराये पर लिये गये वाहन का रख–रखाव, मरम्मत, ईंधन तथा उस पर सम्पूर्ण व्यय ट्रैवल एजेन्सी/ट्रांसपोर्टरों को वहन करना होगा।
9. किसी भी वाहन की दुर्घटना/हानि की पूरी जिम्मेदारी ट्रैवल एजेंसी/ट्रांसपोर्टर का होगा। किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
10. वाहन स्वच्छ एवं उपयोग के योग्य होना चाहिए। अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए उपयोग किये जा रहे वाहन सुविधायुक्त एवं स्वच्छ हों तथा सीट कव्हर इत्यादि पुराने न हों। सफेद/टरकिश टॉवेल सीट पर लगा होना चाहिए।
11. वाहन चालक द्वारा परिवहन विभाग तथा शासन के नियमों की अवहेलना करने/पालन नहीं करने पर वाहन चालक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही होने पर समस्त जिम्मेदारी ट्रैवल एजेंसी/ट्रांसपोर्टर की होगी।
12. टोल टैक्स, अन्य टैक्स/शुल्क का भुगतान सम्बंधित ट्रैवल ऐजेंसी/ट्रांसपोर्टर को करना होगा।

13. अनुबंध में निर्धारित दरों का पुनरीक्षण विश्वविद्यालय के निर्णय के अधीन होगा।
14. ट्रैवल एजेंसी/ट्रांसपोर्टर को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय या अन्य कार्यालय में कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो, इसका प्रमाण–पत्र संलग्न करें। यदि कार्य के दौरान दुर्घटना/वैद्यानिक कार्यवाही हुई हो तो उसका टैक्निकल बीड के साथ पृथक से सूचना संलग्न करें।
15. वाहन टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग के नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना आवश्यक है। रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक/ट्रैवल ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा। वाहन का परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स व बीमा (काम्प्रेहेंसिव) अद्यतन में वैद्य होना चाहिए।
16. वाहन मुख्यालय पर खड़ी रहने एवं मुख्यालय से निजी कार्य से जाने पर कोई राशि देय नहीं होगा।
17. वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन, भत्ता इत्यादि व्यय) सम्बंधित वाहन मालिक/ट्रेवल ऐजेंसी/ट्रॉन्सपोर्टर को वहन करना होगा।
18. वाहन चालक के अवकाश में रहने पर या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक/ट्रेवल ऐजेंसी/ट्रॉन्सपोर्टर को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक का व्यवस्था करना होगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था करनी पड़ी तो उसका भुगतान वाहन मालिक/ट्रेवल ऐजेंसी/ट्रॉन्सपोर्टर के बिल से काट ली जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक/ट्रेवल ऐजेंसी/ट्रॉन्सपोर्टर की होगी।
19. यात्रा के दौरान अथवा कहीं भी वाहन खराब होने पर दूसरी वाहन की तत्काल व्यवस्था वाहन मालिक/ट्रेवल ऐजेंसी/ट्रॉन्सपोर्टर को करनी होगी। यदि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त व्यवस्था की जाती है तो उसका सम्पूर्ण व्यय का वहन वाहन मालिक/ट्रेवल ऐजेंसी/ट्रॉन्सपोर्टर को करना होगा।
20. किराये पर उपलब्ध वाहन अच्छी स्थिति में नहीं होने पर तत्काल उपयोग से हटा दिया जायेगा एवं उक्त वाहन के देयक का भुगतान रोक दिया जायेगा।
21. वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा। लॉग बुक/लॉग कार्ड संबंधित वाहन के उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणिकरण करना अनिवार्य होगा।
22. वाहन प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापन पश्चात मूल लॉग बुक/लॉग कार्ड की छायाप्रति देयक के साथ जमा करना होगा, जो कि शासकीय अभिलेख होगा। मांगे जाने पर लॉग बुक/लॉग कार्ड की मूल पुस्तिका विश्वविद्यालय कार्यालय में अविलम्ब जमा करना होगा जो कि वापसी योग्य नहीं होगा।
23. लॉग बुक/लॉग कार्ड के साथ देयक तीन प्रतियों में माह के अंतिम कार्य दिवस में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक/ऑनलाईन माध्यम से किया जावेगा।
24. वाहन मालिक/ट्रेवल ऐजेंसी/ट्रॉन्सपोर्टर को आयकर, सेवा शुल्क इत्यादि का भुगतान करना होगा।
25. न्यूनतम स्वीकृत निर्धारित दरों पर वाहन किसी भी ऐजेंसी से लेने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। जिस पर स्वीकृत वाहन मालिक/ट्रेवल ऐजेंसी/ट्रॉन्सपोर्टर का कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा।
26. आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वाहन मालिक/ट्रैवल ऐजेंसी/ट्रॉन्सपोर्टर की होगी, अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसे में अन्य वाहन मालिक/ट्रैवल ऐजेंसी/ट्रॉन्सपोर्टर से वाहन प्राप्त किया जा सकेगा।

27. शर्तों / निर्देशों का उल्लंघन, अवमानना करने पर वाहन मालिक / ट्रैवल ऐजेंसी / ट्रॉन्सपोर्टर को कार्य से कभी भी हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।

28. छ.ग. शासन, परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों, मानक के अनुरूप वाहन की स्थिति होनी चाहिए। सफल निविदाकार को छ.ग. शासन, परिवहन विभाग के द्वारा समय – समय जारी दिशा– निर्देश का पालन करना होगा। सभी वाहन अच्छी स्थिति में हो। वाहन के टायर–ट्यूब एवं अन्य सामग्रियां नियत अवधि / दूरी के अंतर्गत हो।

29. फाइनेंसियल बीड में दरों के साथ सभी प्रकार के करों का भी स्पष्टतः उल्लेख किया जाना चाहिए। स्पष्ट उल्लेखित किये गये करों के अतिरिक्त अन्य कोई कर / शुल्क आदि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

30. समस्त दूरियों की माप विश्वविद्यालय मुख्यालय से की जायेगी। दूरी माप का सत्यापन वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी / शिक्षक / नियमित कर्मचारी / उपयोगकर्ता द्वारा किया जायेगा।

31. आर.टी.ओ. द्वारा निर्गत अद्यतन फिटनेस प्रमाण पत्र वाले एवं विवाद रहित वाहन ही एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

32. एक वित्तीय वर्ष में लगभग रू. 10.00 लाख अनुमानित व्यय होने की संभावना है, जो कि कार्य, यात्रा एवं स्थिति अनुसार परिवर्तनीय है।

33. तकनीकी बीड पूर्ण पाये जाने की दशा में वित्तीय बीड पर विचार किया जायेगा। इस प्रक्रिया में क्रय समिति की अनुशंसा / निर्णय सर्वमान्य होगी।

34. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में सुरक्षित है।

35. कार्य संतोषजनक न होने पर ट्रैवल एजेन्सी / ट्रांसपोर्टरों की धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा भविष्य में ऐसी एजेन्सी को 3 वर्ष के लिये Black-Listed किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

36. कार्यादेशित एजेंसी / फर्म के देयक से नियमानुसार इन्कम टैक्स व जी.एस.टी. / टी.डी.एस. / पेनॉल्टी की कटौती की जायेगी।

37. सफल निविदाकार द्वारा रू. 100/– (एक सौ) के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर से विश्वविद्यालय के शर्तों, नियम, निर्देश के अनुसार कार्यादेश से पूर्व निश्चित समयावधि के भीतर अनुबंध करना होगा। अनुबंध नहीं करने की दशा में धरोहर राशि विश्वविद्यालय कोष में राजसात की जायेगी तथा द्वितीय क्रम के निविदाकार को कार्य हेतु स्वीकृत दर पर आमंत्रित किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति होने पर निविदा में पात्र फर्मों को क्रम अनुसार अवसर दिया जा सकेगा। किन्तु इस हेतु अंतिम निर्णय माननीय कुलपति का होगा, जो कि सर्वमान्य होगा।

38. वाहन का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

39. कार्य समाप्त होने के पश्चात् अनुबंध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा अलग–अलग कार्य का अलग–अलग बिल प्रस्तुत करना होगा। बिल मासिक कार्य के अनुसार स्वीकृत होंगे। बिलों में संबंधित कार्यों का उल्लेख करना होगा।

40. जगदलपुर न्यायालय क्षेत्रांतर्गत न्यायालयीन प्रकरण मान्य होगा।

41. किसी भी शर्त को शिथिल करने, प्रक्रिया के किसी भी स्तर में परिवर्तन करने का अधिकार माननीय कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर का होगा, जो कि सर्वमान्य होगा।

42. निविदा की वैद्यता अनुबंध के अनुसार 01 वर्ष तक होगी। अवधि समाप्ति के बाद कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अनुबंध / कार्यावधि में छः माह के लिए वृद्धि की जा सकेगी, जिसकी सूचना अनुबंध की वैद्यता समाप्ति के 45 दिवस के भीतर जारी किया जा सकेगा।

43. निविदा प्रेषक की किसी नियम – शर्त, कंडिका को विश्वविद्यालय द्वारा माना नहीं जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त निविदा की समस्त निर्देश, नियम, कंडिकायें एवं शर्तें फर्म को स्वीकार करना अनिवार्य होगा।

44. माल वाहक एवं परिवहन कार्य के लिए किसी एक फर्म को अथवा अलग–अलग फर्मों को कार्यादेश दिया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर ....

नाम..

मोबाइल नम्बर ....

फर्म का नाम ....

फर्म का पूरा पता ....

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

प्रपत्र "क"
(तकनीकी लिफाफा हेतु)
निविदाकार से संबंधित विवरण

1. निविदाकार का पूरा नाम –..
2. निविदाकार का पता –..
   ....
   ....
3. ट्रैवल एजेन्सी/ट्रांसपोर्टर का नाम व पता –..
   ....
   ....
4. दूरभाष क्र./मोबाइल नं. ....
5. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 2000 /– (दो हजार) मात्र का विवरण –
   बैंक का नाम ....डी.डी. क्रं ....
   दिनांक ....
6. अमानत राशि रू. 50000 /– (पचास हजार) मात्र का विवरण –
   बैंक का नाम.. डी.डी. क्र..
   दिनांक ....
7. PAN नं. ....
8. फर्म का पंजीयन नं. ....
9. GST पंजीयन नं. ....
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय या अन्य कार्यालयों में कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। ....
11. आर.टी.ओ. में कामर्शियल पंजीकरण संख्या एवं स्वप्रमाणित प्रति। ....
12. आवश्यकतानुसार एक साथ अधिकतम वाहन उपलब्ध कराने की क्षमता (संख्या) उल्लेख करें –टैक्सी वाहन .... मालवाहक वाहन ....
13. टैक्सी वाहन, मालवाहक वाहन हेतु पृथक– पृथक दर प्रस्तुत की जाएगी। दरों में अस्पष्टता होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सभी प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

मेरे द्वारा निविदा में दिये गये सभी बिन्दुओं एवं शर्तों का पालन करते हुये निविदा प्रेषित की जा रही है। इसमें भरी जाने वाली/संलग्न किये गये सभी जानकारियों के लिए मैं, मेरी फर्म की और से पूरी तरह से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

निविदाकार का नाम –..
हस्ताक्षर ....
फर्म का नाम ....
मोबाईल नं...

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

ट्रैवेल एजेन्सी/ट्रांसपोटर्स से किराये पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु दरें

प्रपत्र "ख"

वित्तीय निविदा

(Financial Bid)

(A) टैक्सी :–

क्र.	वाहन का नाम	वाहन दर (प्रति किलोमीटर) GST सहित				(Halting Charge) प्रति दिवस में घंटे के अनुसार (GST सहित)			
		A.C.		Non A.C.					
		स्थानीय	बाहर	स्थानीय	बाहर	4 घंटे	8 घंटे	12 घंटे	24 घंटे
1	टाटा सूमो								
2	महिन्द्रा बोलेरो								
3	महिन्द्रा स्कार्पियो								
4	महिन्द्रा XUV 500								
5	मारूती अर्टिगा								
6	मारूती XL6								
7	इनोवा क्रिस्टा								
8	ट्रैव्लर (15 से 22 सीटर)								
9	मिनी बस (22 से 32 सीटर)								
10	बस (45 से 55 सीटर)								

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर

पूरा नाम ....

फर्म का नाम ....

जी.एस.टी. नम्बर ....

वित्तीय निविदा
(Financial Bid)

(B) मालवाहक वाहन :–

क्र.	वाहन का नाम	वाहन दर (प्रति किलोमीटर) GST सहित				(Halting Charge) प्रति दिवस में घंटे के अनुसार (GST सहित)			
		स्थानीय	बाहर	स्थानीय	बाहर	4 घंटे	8 घंटे	12 घंटे	24 घंटे
1	टाटा ACE गोल्ड								
2	महिन्द्रा बोलेरो पिक–अप								
3	टाटा 407 गोल्ड /मीनी ट्रक								
4	मेटाडोर (टाटा/आईचर)								
5	ट्रक (टाटा/आईचर)								

टीप :– (1) मालवाहक वाहन Water Proof तालपत्री/सामग्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सहित उपलब्ध कराना होगा।
(2) "स्थानीय" से आशय जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र एवं उसके अधिकतम 10 कि.मी. की परिधि से है।
(3) Halting Charge में घंटे की गणना दिन – रात के समय से की जायेगी।

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर

पूरा नाम ....
फर्म का नाम ....
जी.एस.टी. नम्बर ....